कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

पत्रांक 1527 दिनांक 23-06-17

निविदा सूचना

रांची नगर निगम क्षेत्राअन्तर्गत विभिन्न चौराहों पर चिन्हित पुलिस ट्रैफिक पोस्ट के छत पर 5'x4' आकार के लाईटेड लॉलीपॉप किऑस्क लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु रांची नगर निगम में निबंधित विज्ञापन एजेन्सियों से निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा दिनांक 10.07.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिवस को अपराह्न 4.30 बजे प्राप्त निविदाओं का निष्पादन किया जायेगा।

नियम एवं शर्ता, विज्ञापन कर एवं ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की सूची निगम बेवसाईट **WWW.ranchimunicipal.com** पर प्रदर्शित है अथवा किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

22/6/17

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

Scanned by CamScanner

नियम एवं शर्तें :–

1. कार्य 03 वर्षों के लिए आवंटित किया जायेगा, जिसे संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 वर्षों के लिए समय विस्तार किया जायेगा।
2. सभी पुलिस ट्रैफिक पोस्ट का मरम्मत (रंग – रोगन एवं टूटे हिस्से/टाईल्स की मरम्मति) करनी होगी।
3. लॉलीपॉप का विज्ञापन कर जोन वाईज (कर अतिरिक्त) होगा एवं जिसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि की जायेगी। विज्ञापन कर की जोन वाईज दर तालिका अनुलग्नक सं0–01 पर संधिरित है।
4. ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की सूची अनुलग्नक सं0–02 पर संधारित है।
5. उच्चतम अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fee) अंकित करने वाली एजेन्सी को कार्य आवंटित किया जायेगा। अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fee) की सुरक्षित राशि 500/रू0 प्रति ट्रैफिक पोस्ट प्रतिवर्ष होगा।
6. यदि एक से अधिक (एजेंसी) के द्वारा उच्चतम अनुज्ञप्ति राशि एक समान अंकित पाये जाने की स्थिति में एजेंसियों के मध्य अनुज्ञप्ति राशि के लिए डाक करायी जायेगी एवं उच्चतम बोली वाले को कार्य आवंटित किया जायेगा।
7. प्रति पुलिस ट्रैफिक पोस्ट के लिए निविदा/डाक द्वारा निर्धारित दर से वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करना होगा।
8. अग्रधन राशि के रूप में 25,000/रू0 का डी0डी0 नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। निविदा निष्पादनोंपरांत असफल निविदादातोओं को अग्रधन की राशि वापस लैटा दी जायेगी।
9. कार्यादेश प्राप्त होने पर एक माह के अंदर लॉलीपॉप लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित करना होगा।
10. समय–समय पर निगम के आदेशानुसार पुलिस ट्रैफिक पोस्ट का संधारण कार्य करना होगा।
11. यदि किसी भी कारण वश ट्रैफिक पुलिस पोस्ट हटाया जाता है, तो निगम द्वारा किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति नहीं दिया जायेगा।
12. Jharkhand Local Bodies Advertisement Regulation 2017 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन नवीकरण कराना होगा।
13. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम को सुरक्षित रहेगा।

उप नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक सं0–01

ट्रैफिक पुलिस पोस्ट पर लगाये जाने वाले लॉलीपॉप के विज्ञापन कर का दर (वर्ष 2017–18)

जोन	दर
Zone-A	Rs 276.00/- Per Sqft.
Zone-B	Rs 221.50/- Per Sqft.
Zone-C	Rs 165.00/- Per Sqft.

उपरोक्त दर के अतिरिक्त 2%TCS का भुगतान करना होगा।

Scanned by CamScanner